

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 19/Exam/School Lect./RPSC/EP-I/2024-25

दिनांक : 25.10.2024

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) के विभिन्न 24 विषयों के कुल 2202 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है।

Post S.No.	Name of Subject	No. of Post(s)	Gen. (UR)			S.C.			S.T.			O.B.C.			M.B.C.			E.W.S.			Horizontal Reservation							
			GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	PH	Ex-service man				
1	Hindi	350	88	25	10	3	39	11	5	1	30	8	3	1	51	15	5	2	13	4	1	0	25	6	3	1	(i) B/LV-4 (1B) (ii) H.I.-5 (2B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-14 (10B), (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -17 (14B)	Gen(UR)-7(1B) SC-2 ST-2 OBC-3 MBC-0 EWS-1
2	English	325	82	23	9	3	36	11	4	1	28	7	3	1	48	13	5	2	11	3	2	0	23	7	3	0	(i) B/LV-3, (ii) H.I.-3, (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/ CP/LC/DW/AAV-4 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -6 (3B)	Gen(UR)-6(1B) SC-2 ST-1 OBC-3 MBC-0 EWS-1
3	Sanskrit	64	17	4	1	1	8	2	1	0	6	1	0	0	9	2	2	0	1	2	0	0	5	2	0	0	(i) B/LV-1, (ii) H.I.-1 (B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-2 (1B) (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -2 (1B)	Gen(UR)-5(4B) SC-0 ST-0 OBC-1 (B) MBC-0 EWS-0
4	Rajasthani	7	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	(i) B/LV-0, (ii) H.I.-0, (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-0 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
5	Punjabi	11	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	(i) B/LV-0, (ii) H.I.-1 (B), (iii) OA/BA/OL/BL/ OAL/CP/LC/DW/AAV-0 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-1(B) MBC-0 EWS-0
6	Urdu	26	7	2	1	0	2	1	1	0	2	1	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	(i) B/LV-0, (ii) H.I.-1(B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-1 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-1 (B) SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
7	History	90	23	6	3	0	10	3	1	0	8	2	1	0	13	4	1	1	4	0	1	0	6	1	1	1	(i) B/LV-1 (ii) H.I.-8 (7B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-3 (2B), (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -9 (8B)	Gen(UR)-4(3B) SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
8	Political Science	225	24	7	3	1	38	10	5	1	72	20	8	2	14	4	2	0	4	1	0	0	7	1	1	0	(i) B/LV-13(12B) (ii) H.I.-13(12B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-9 (8B), (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -13 (12B)	Gen(UR)-10(9B) SC-5 (3B) ST-7(2B) OBC-5(4B) MBC-0 EWS-1 (B)
9	Geography	210	53	14	7	1	24	7	3	0	17	5	2	1	31	8	4	1	8	2	1	0	15	4	2	0	(i) B/LV-6(4B) (ii) H.I.-8 (6B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-5 (3B), (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -10 (7B)	Gen(UR)-3 SC-1 ST-1 OBC-2 MBC-0 EWS-1
10	Economics	35	9	2	1	0	5	0	1	0	3	1	1	0	5	1	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0	(i) B/LV-0, (ii) H.I.-1, (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-1 (B) (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -1 (B)	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
11	Sociology	16	4	1	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	(i) B/LV-0, (ii) H.I.-0, (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-1 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
12	Home Science	16	4	0	1	0	2	1	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	(i) B/LV-1(B) (ii) H.I.-0, (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-0, (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -1 (B)	Gen(UR)-1(B) SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
13	Chemistry	36	10	4	1	0	3	1	0	1	3	1	1	0	5	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	(i) B/LV-2(1B) (ii) H.I.-1 (B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-0, (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -2 (2B)	Gen(UR)-5(5B) SC-0 ST-0 OBC-1(B) MBC-0 EWS-0

14	Physics	147	34	10	4	1	15	4	2	1	18	5	2	1	20	6	3	0	4	3	0	0	9	4	1	0	(i) B/LV-3(1B) (ii) H.L.-2(1B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-2(1B), (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -2	Gen(UR)-6(4B) EWS-0 SC-1 ST-1 OBC-1 MBC-0
15	Maths	153	37	11	4	2	17	4	2	1	16	3	2	1	23	6	3	0	4	3	0	0	9	4	1	0	(i) B/LV-2 (ii) H.L.-2(1B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-2(1B), (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -2	Gen(UR)-6(4B) EWS-0 SC-1 ST-1 OBC-1 MBC-0
16	Biology	67	16	4	3	0	8	2	1	0	5	2	1	0	11	3	1	0	2	1	0	0	5	1	1	0	(i) B/LV-0 (ii) H.L.-1 (B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/CP/ LC/DW/AAV-1, (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -3 (2B)	Gen(UR)-6(5B) EWS-0 SC-1(B) ST-1(B) OBC-1(B) MBC-0
17	Commerce	340	85	24	10	3	38	11	5	1	28	9	3	1	50	15	5	1	16	0	1	0	24	7	2	1	(i) B/LV-3, (ii) H.L.-4 (1B), (iii) OA/BA/OL/BL/OAL/ CP/LC/DW/AAV-5(1B) (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -5 (1B)	Gen(UR)-11(5B) EWS-1 SC-3 (1B) ST-2 OBC-4 (1B) MBC-0
18	Drawing	35	8	1	1	1	4	1	0	0	4	3	0	0	4	1	1	0	1	1	0	0	3	1	0	0	(i) LV-1 (B), (ii) H.L.-1, (iii) OA/OL/BL /OAL/DW/AAV-0 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -1 (B)	Gen(UR)-2 (2B) EWS-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0
19	Music	06	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	(i) B/LV-0, (ii) OA/OL/CP /LC/DW/AAV-0 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 EWS-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0
20	Physical Education	37	9	2	1	1	5	1	0	0	4	2	0	0	4	2	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	(i) H.L.-2 (2B), (ii) OL/LC/CP /DW/AAV - 2(2B) (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -1(B)	Gen(UR)-4 (4B) EWS-0 SC-0 ST-0 OBC-1 (B) MBC-0
21	Coach (Wrestling)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) H.L.-0, (ii) OL/ CP /LC/DW/AAV-0 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 EWS-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0
22	Coach (Kho-Kho)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) H.L.-0, (ii) OL/ CP /LC/DW/AAV-0 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
23	Coach (Hockey)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) H.L.-0, (ii) OL/ CP /LC/DW/AAV-0 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
24	Coach (Football)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) H.L.-0, (ii) OL/ CP /LC/DW/AAV-0 (iv) (a) ASD,M.I., S.L.D & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0

नोट:-

- पंजाबी विषय में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 02 पद, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 02 पद, पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 4 पदों में से 03 पद एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 2 पदों में से 1 पद वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के है जिन्हे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।
- राजनीति विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 54 पदों में से 39 पद एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 102 पदों में से 81 पद वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के है जिन्हे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।
- गृह विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 03 पदों में से 01 पद एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 03 पदों में से 02 पद वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के है जिन्हे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।
- भौतिक विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 22 पदों में से 01 पद एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 26 पदों में से 10 पद वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के है जिन्हे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।
- गणित विषय में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 22 पदों में से 04 पद, वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के है जिन्हे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।
- चित्रकला विषय में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 07 पदों में से 03 पद, वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के है जिन्हे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।
- संगीत विषय में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 02 पदों में से 01 पद एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्याया गया 01 पद वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के है जिन्हे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।
- शारीरिक शिक्षा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्याये गये कुल 06 पदों में से 02 पद वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के है जिन्हे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।

Abbreviations Used: GEN - General, U.R. - Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blind/Low Vision, D-Deaf, H/H-Hard of hearing, OA-one arm, BA-bothe arm, OL-one leg, BL-both leg, OAL-one arm and one leg, CP- Cerebral palsy, LC-leprosy cured, DW-dwarfism, AAV-acid attack victimism, ASD-Autism spectrum disorder, M.I. - Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis. - Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicapped, B-Backlog
टिप्पणी:- एकलिक दिव्यांगता (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपर्युक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्याई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 की अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पर्याप्ततः तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनिबन्ध के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-निबन्ध के अर्थ में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भर जाना पद आधारीत रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा तिनके लिए ऐसी रिक्ति पर्याप्ततः वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भर जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विवाह या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर्-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विवाह और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियाँ उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी जिसके लिए रिक्तियाँ आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पर्याप्ततः वर्षों के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियाँ व्यपगत हो जायेंगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निश्चित विभिन्न श्रेणियों में अन्तःपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ग में भी कोई निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो निर्योक्तता उस रिक्ति को निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। मूलनिध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपसन्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पत्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।

टिप्पणी- "किन्तु संख्या 01 से 08 तक के प्राकथन संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।"

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

- उपयुक्त पद क्रम संख्या 1 से 11 तक एवं 13 से 15 तक के लिये :- Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in the relevant subject with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.
- पद क्रम संख्या 12 के लिये :- Post Graduate or equivalent examination recognized by UGC/ Indian Council of Agricultural Research in Home Science with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government
- पद क्रम संख्या 16 के लिये :- Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Zoology/ Botany/ Micro-Biology/ Bio-Technology/Life Science/Bio Science provided they have Studied Botany and Zoology at Graduation level with degree or diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.
- पद क्रम संख्या 17 के लिये :- (i) Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Commerce with B.Com. OR Post Graduate or equivalent examination recognized by UGC in Commerce, having atleast two teaching subject for Higher Secondary classes as prescribed by the Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer for Commerce group.
(ii) Degree or Diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.
- पद क्रम संख्या 18 के लिये :- Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Drawing or the qualification declared equivalent thereto by the Government or Diploma of four/five years' duration in Arts from any school / College of Arts recognized by the Government.
- पद क्रम संख्या 19 के लिये :- Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Music or the qualification declared equivalent thereto by the Government.
- पद क्रम संख्या 20 के लिये :- Graduate or Equivalent examination recognized by UGC and Post Graduate in Physical Education/M.P.Ed. (2 years duration) recognized by the National Council of Teacher Education.
- पद क्रम संख्या 21 से 24 के लिये :- Graduate or Equivalent examination recognized by UGC with Degree or Diploma in Physical Education and Full term/time National Institute of Sports (NIS) Certificate from any branch of National Institute of Sports.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

- Note:**
- अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
 - असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सिलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्राकथन	पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अंगित करने का सबूत देना होगा।
वेतन का रनिंग पे-बैंच	पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 (Grade Pay -4800/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवर्धनांकाल में नियत नरिसक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट :- पद क्रम संख्या 4 को छोड़कर शेष सभी पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2023 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2025 को अधिकतम 40 वर्ष के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्राक्कानानुसार अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। पद क्रम संख्या 4 आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। अतः पद क्रम संख्या 4 के लिए जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2025 को अधिकतम 40 वर्ष के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्राक्कानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राकथन

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorce, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं

6.	उपरोक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकार्य नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.
7	कैडेट इन्स्ट्रक्टरों के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्त परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
8	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.
9	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और उद्यु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समझ उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्त कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
10	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा चाहे वे आयोग के समझ आधिश्री उपस्थिति के समय उरी पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें वो अवसर दिये जावेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment;
11	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन सिविलीकरण के पश्चात् यदि अनुभवी आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु संशुद्धि भर्ती की वरत में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be ten years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण - कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवाओं/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिकों को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
12	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निराश्रित व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.

नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जावेंगे।

- नोट -
1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट को बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
 2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विशेष योग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।
 3. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आक्षण को अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आवेदित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रिक्तता (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) स्थितियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा।
 4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानियुक्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 5. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक याद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण	
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्कैनिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुरोधित किए जावेंगे जो लिखित परीक्षा में प्राप्तियों की मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 05.11.2024 से दिनांक 04.12.2024 रात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तनुपश्चात् ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जाएगा। 2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. की में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। 4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का वीक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से साक्षात्पूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंगे। यदि इसमें कोई अंतर है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR रजिस्ट्रेशन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें। Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में दृष्टिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके तथा परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जा सके।

5. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपने Live फोटो का Preview देखकर फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।
6. अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने समय इनतेंशन एवं बॉर्डर हाउस की उचित जानकारी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा केंद्र में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति गत्र पर एक से अधिक विधानों की तस्वीरें लगेगी।
7. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान की दिनांकित नहीं करते परीक्षा केंद्र में उपस्थिति पत्रक पर चला करते हेतु तथा लेकन कार्य।
8. अभ्यर्थियों को भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भुगतान संबंधी विवरण का अनिवार्य रूप से भरना होगा। जहां विवरण का भरना नहीं किया जाने पर भुगतान की सुविधा देना नहीं होगी।
9. अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी वैधतापूर्ण योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट एवं आवश्यक तौर पर उल्लिखित करें। यदि ऐसी पूर्व में अर्जित वैधतापूर्ण योग्यता/अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी प्रमाण/अनुभव वैधतापूर्ण नहीं होगा। केवल अर्जित वैधतापूर्ण योग्यता/अनुभव ही बाद में जोड़े जा सकते हैं।
10. आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र कर्नाटक अक्षररूप रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं कर सकते हैं।
11. आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर संपर्क करें।
12. आवेदन किताब फीस के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, वही क्रमों में ऑन-लाइन आवेदन करें। प्रश्न सूचना देने/सब्सक्राइब करने पर आवेदन अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए उपलब्ध होगा।
13. शैक्षणिक तंत्र के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की इन्फॉर्मेशन श्रेणी के आवेदन तथा कल्याण राज्य से भिन्न जिलों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्प पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
14. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का भिन्न आवश्यक रूप से निकाल लेंगे।
15. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard को लगातार निरीक्षण अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/गणों संदर्भित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित/अपलोड की जाती है। एक से भुवना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
16. आयोजन हाउस अभ्यर्थी से उचित परामर्शपूर्ण ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अनिवार्य किस्मों भी परिशिष्ट में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/सर्वर में भ्रम हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑनलाइन प्रभाव स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पश्चात् आवेदन को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्थान के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अनिवार्य रूप से त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निम्नलिखित शुल्क रुपये 600/- का ऑनलाइन शुभान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <http://psr.kafstahha.gov.in> पर उपलब्ध विवरण-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2. आयोग द्वारा प्रेषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिवस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु विवरण जाना जायेगा जिसके अंतर्गत जलानों को फोटो काट, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अनिवार्य रूप से त्रुटि संशोधन निम्न कर सकते हैं।
Note: निम्नलिखित विवरण/पेनाल्टी/परिवर्तन नौसेना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायपालना के द्वारा प्रेषित विधेयन विवरण (DV) किसे जारी होने की तिथि से ही वर्ग परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करने में ऑनलाइन संशोधन के अंतर्गत या संप्रयोग कर सकते हैं।
3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एम.एच.एन के माध्यम से सूचित किया जाएगा एवं फिर भी संशोधन को पुनः ऑनलाइन के माध्यम से ही करेगी।
5. सभी प्रकार के अनुप्रा संशोधन हेतु शुल्क 600/- रुपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उचित प्रतीका के अनिवार्य रूप से त्रुटि संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उचित संशोधन प्रक्रिया के अनुसार कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन परिवर्तन करते हेतु अभ्यर्थी को कोई जानकारी नहीं होगी।

एकपक्षीय परिवर्तन शुल्क :- अभ्यर्थी (क-2) पिता के परिवर्तन शुल्क 600.000 के द्वारा समस्त वर्ग परिवर्तन में एकपक्षीय परिवर्तन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

1. सामान्य (अनसूचित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी -	रुपये 600/-
2. अनुसूचित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-एन/क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन/क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहयोग क्षेत्र) के अभ्यर्थी -	रुपये 400/-
3. दिव्यांगजन -	रुपये 400/-

- नोट :-
1. शैक्षणिक तंत्र से भिन्न अन्य श्रेणियों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसी अभ्यर्थियों को एकपक्षीय वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परिवर्तन शुल्क देना होगा।
 2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन ट्राइंग रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी को एम.एच.एन जहाँ इन वन ट्राइंग रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत पर जाकर रजिस्ट्रेशन/परिवर्तन/एन.एच.एन. में संशोधन शुल्क तथा भरवाये।

विशेष योग्यता/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भुगतान/अतिरिक्त समस्त उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषाधिकार देने से जाने राधा भुगतान संबंधी विवरण का भरना किये जाने का अनिवार्य रूप नहीं है कि वह भुगतान की सुविधा प्राप्त करने के लिए वह पात्र/योग्य है। भुगतान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी को भुगतान की सुविधा देना नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का भुगतान लेना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा विवरण से एक से कम एक विवरण पूर्व दिव्यांगता का यापिता विवरण प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी एवं भुगतान का भवन-पत्र, भुगतान के फोटो प्रमाण पत्र व वैधतापूर्ण प्रमाण के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधिकार के प्रमाण कम्पनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग/केन्द्राधिकार से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक के एक से कम से विवरण पूर्व दिव्यांगता का यापिता विवरण प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का वजन वन गन्तव्यीयक के प्रमाण कम्पनी होगी।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यता (40 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक निरक्षरता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोपदेश केन्द्राधिकार (दोनों हाथों की निरक्षरता-Both Arms) एवं शरीर पार्श्वी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का यापिता प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी एवं भुगतान का भवन-पत्र के आधार पर भुगतान की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत दिव्यांगता अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में अक्षरों के संकेत से मुख्य विवरण अधिकारी/विशेषाधिकार से अनुसूचित प्रमाण पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का यापिता प्रमाण पत्र एवं भुगतान का भवन-पत्र प्रमाण कम्पनी पर भुगतान की सुविधा देना होगी और/वा अनुसूचित शब्द प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यता (50 प्रतिशत से कम निरक्षरता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में अक्षरों के संकेत में मुख्य विवरण अधिकारी/विशेषाधिकार से अनुसूचित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का यापिता प्रमाण-पत्र प्रमाण कम्पनी पर भुगतान की सुविधा और/वा अनुसूचित रूप प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भुगतान की सुविधा और/वा अनुसूचित समस्त प्रमाण कम्पनी के लिए परीक्षा निर्देशों से एक से कम से विवरण पूर्व शब्द प्रमाण कम्पनी के साथ आयोग से संपर्क करना होगा अन्यथा भुगतान की सुविधा और/वा अनुसूचित रूप देना नहीं होगा।
6. भुगतान के संबंध में विवरण निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का अनिवार्य आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध "Candidate Information Important Downloads Instructions for availing services of Scribe" को अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध भुगतान संबंधी निर्देशों को निम्नानुसार जा हे गाया/विवरण जाना जायेगा।

Scheme and syllabus of competitive examination for the post of School Lecturer

- (1) The examination shall carry 150 marks.
- (2) There will be two papers. Paper I shall be of 100 marks and Paper II shall be of 50 marks. Duration of Paper I shall be One and a Half hours and the duration of Paper II shall be Three hours.
- (3) All the questions in both the Papers shall be Multiple Choice Type questions.
- (4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular

question shall be deducted.

Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

- (5) The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेजन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राक्धानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रिवायत दी जायेगी।

- (6) Subjects included in both the papers are shown in the table below.

PAPER – I General Studies

Duration: 1 Hour and 30 minutes

SUBJECTS

1.	History of Rajasthan and Indian History with special emphasis on Indian National Movement
2.	Mental Ability Test, Statistics (Secondary Level), Mathematics (Secondary Level), Language Ability Test :- Hindi, English
3.	Current affairs
4.	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan
5.	Educational Psychology, Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009

PAPER – II Subject Concerned

Duration: 3 Hour

SUBJECTS

1.	Knowledge of Subject Concerned: Senior Secondary Level
2.	Knowledge of Subject Concerned: Graduation Level
3.	Knowledge of Subject Concerned: Post Graduation Level
4.	Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning.

Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Coach

- The examination shall carry 450 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments.(as per "Note" mentioned below Paper II).
- There will be two papers. Paper I shall be of 150 marks and paper II shall be of 300 marks. Duration of the paper I shall be one and a half hours and the duration of Paper II shall be Three Hours.
- All the questions in both papers shall be Multiple Choice Type questions
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

- (5) The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेजन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राक्धानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रिवायत दी जायेगी।

- (6) Subjects included in both the papers are shown in the table below-

PAPER – I General Studies

Duration: 1 Hour and 30 minutes

SUBJECTS

1.	History of Rajasthan and Indian history with special emphasis on Indian National Movement.
2.	Mental Ability Test, Statistics (Secondary level), Mathematics (Secondary level), Language ability test: - Hindi, English.
3.	Current Affairs
4.	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan.

PAPER – II Sports Concerned

Duration: 3 Hour

SUBJECTS

1.	Knowledge of Physical Education & Sports.
2.	Sports Sciences.
3.	General Theory and Method of Training.
4.	Specific Knowledge of Games/ Sports and its current affairs.

Note – (I) Awardable marks on the basis of certificate of the participation & the position gained in sports competition shall be as under:-

1. Participation at international level or winner at national level.	40 marks
2. II position at national level.	36 marks
3. III position at national level.	32 marks
4. Participation at national level or winner at state level.	28 marks
5. II position at state level.	24 marks
6. III position at state level.	20 marks
7. Participation at state level or winner at district level.	16 marks
8. II position at district level.	12 marks
9. III position at district level.	08 marks
10. Participation at district level.	04 marks

Note –(II) Level shall be as under :-

- District Level - Following tournaments will be considered of district level.-
 - District level school tournament of Elementary Education Department.
 - District level school tournament of Secondary Education Department.
 - State level school tournament of Sanskrit Education Department.
 - Cluster level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
 - Inter college tournament of Universities.
- State Level - Following tournament will be considered of state level-
 - State level school tournament of Elementary Education Department
 - State level school tournament of Secondary Education Department.
 - National level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
 - Inter University tournament at zone level.
- National level- Following tournaments will be considered of national level-
 - School games tournament organized by School Games Federation of India at national level.
 - Inter University tournament at National or inter zone level.
- International level. Participation in international tournaments through any one of these organizations:-
School Games Federation of India, University Sports Association or Sports Federation of India.

Note –(III) Verification of Sports Certificates –

- Sports certificates will be considered if they are verified by Secretary of Rajasthan Sports Council Or Head of the Institute with a mention that participant is a regular student of the Institution.
- Sports Certificate of participation or acquired position in International tournament through School Games Federation of India, University Sport Association or Sports Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned federation/ association.

Scheme and syllabus of competitive examination for the posts Lecturer of Physical Education:-

- The examination shall carry 460 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments. (as per "Note" mentioned below Paper II).
- There will be two papers. Paper I shall be of 200 marks and paper II shall be of 260 marks.

Paper-I

- The question paper will carry maximum 200 marks.
- Duration of question paper will be 2:00 hours.
- The question paper will carry 100 question of multiple choices.
- Paper shall include following subjects:
 - Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
 - Current Affairs of Rajasthan
 - General knowledge of world and India.
 - Educational Psychology
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
- The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes.
राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आगेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिवांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राकथानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रिवाज दी जायेगी।

Paper-II

- The question paper will carry maximum 260 marks.
- Duration of question paper will be 2 hours.
- The question paper will carry 130 questions of multiple choices.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
- The minimum qualifying marks for the paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Schedule Casts, Schedule Tribes.
राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आगेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिवांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राकथानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रिवाज दी जायेगी।
- Paper shall include following subjects -
 - General Knowledge of Physical Education of Secondary and Senior Secondary standard
 - General knowledge of sports and Physical Education and current affairs.
 - Theories, definitions and History of Physical Education.
 - Education and Games Psychology,
 - Methods, Supervision and Organizations of Physical Education.
 - Theories of Training and Decisions.
 - Science of basic Physical Anatomy, Function and Health Education.
 - Entertainment, camp and Yoga.

Awardable marks on the basis of certificate of the participation and the position gained in sports competition

For the post of Lecturer of Physical Education maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments.(as per "Note" mentioned below).

Note – (I) Awardable marks on the basis of certificate of the participation and the position gained in sports competition shall be as under:-

- | | |
|--|----------|
| 1. Participation at international level or winner at national level. | 40 marks |
| 2. II position at national level. | 36 marks |
| 3. III position at national level. | 32 marks |
| 4. Participation at national level or winner at state level. | 28 marks |
| 5. II position at state level. | 24 marks |
| 6. III position at state level. | 20 marks |
| 7. Participation at state level or winner at district level. | 16 marks |
| 8. II position at district level. | 12 marks |
| 9. III position at district level. | 08 marks |
| 10. Participation at district level. | 04 marks |

Note –(II) Level shall be as under :-

- District Level** - Following tournaments will be considered of district level.-
 - District level school tournament of Elementary Education Department.
 - District level school tournament of Secondary Education Department.
 - State level school tournament of Sanskrit Education Department.
 - Cluster level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
 - Inter college tournament of Universities.
- State Level** - Following tournament will be considered of state level-
 - State level school tournament of Elementary Education Department
 - State level school tournament of Secondary Education Department.
 - National level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
 - Inter University tournament at zone level.
- National level**- Following tournaments will be considered of national level-
 - School games tournament organized by School Games Federation of India at national level.
 - Inter University tournament at National or inter zone level.

4. International level- Participation in international tournaments through any one of these organizations- School Games Federation of India, University Sports Association or Sports Federation of India.

Note –(III) Verification of Sports Certificates –

- Sports certificates will be considered if they are verified by Secretary of Rajasthan Sports Council Or Head of the Institute with a mention that participant is a regular student of the Institution.
- Sports Certificate of participation or acquired position in International tournament through School Games Federation of India, University Sport Association or Sports Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned federation/ association.

उक्त पद हेतु आवेदित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश-

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- It is mandatory to fill one option for each question.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना सही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/समाप्तकार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- अभ्यर्थी कक्षासम्बन्ध मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
- आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वासित हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो बुराकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी आयु (जन्म दिनांक), विषय, घोषणा इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवाये। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरते न छोड़ें कि उनके द्वारा अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/छड़ेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से मिनट श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्त की अंतिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विद्यमान पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज (ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए) तथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनंतिम (Provisional) रूप से संबंधित नहीं परीक्षा/समाप्तकार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अनिश्चित नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से घयन होने की स्थिति में आवेदक को ऑनलाईन विस्तृत आवेदन-पत्र भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रामाणित फोटो प्रतियां एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, वैवाहिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की फालता नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- भारी परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंक खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का ऑनलाईन/ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रिंटका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विवाह विधिवन्/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकरिमिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संबंधित परीक्षा/समाप्तकार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार-कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्ता प्रमाण-पत्र मय 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अभ्यर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
- विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विधिवन् आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचारधीन/अन्धित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विधिवन्/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक उक्त पद हेतु लगी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत बाधित वैवाहिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त बाधित वैवाहिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
- परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की फालता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के फैसले द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी

अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई काय-विवाह स्वीकार्य नहीं होगा।

18. परीक्षाओं द्वारा केन्द्राधीन/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षाओं के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीन/अभिजागर जो भी उचित समझे सभ्यत कार्यावाही कर सकता है तथा परीक्षाओं के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (नती) में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यावाही की जायेगी।
19. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य नती एजेन्सियों की किसी भी नती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अन्य व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा अधीनस्थ परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
20. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुश्रीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

अवेदक को दर्ज विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मूल्य परीक्षा/संबंधी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जाये :-

1. **कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा वह सूचना मसल पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती।**
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं ज़मीनलेयर/नॉन ज़मीनलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के ज़मीनलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।
7. शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आय (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निश्चयता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। किन्तु श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मूल्य प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास सार्वजनिक न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
8. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशान अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निरक्षोप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के सक्षम सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षोप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और साप्ताहिक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को विशिष्ट कर सकता/करती है और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राथमिकता समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक स्थित कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सौधी मर्ती की रक्षा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सौधी मर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्राथमिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्योरी के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/चयनकथ देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/सहायक/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। 'कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।'**
9. शासन के परिपत्र क्रमांक ए.8(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार इस परिपत्र को जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/संतानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसकी बच्चों/संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्कर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/संतान पैदा होती है, वही बच्चों/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चित हो, गणना नहीं की जायेगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबन्ध किसी विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा।
11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा किन्तु के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संख्या का बरिष्ठ प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें बरिष्ठ के सम्बन्ध में कम से कम 'अच्छा' का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक को खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक घास का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में क्वा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/दाद न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने निवेदन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।


आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिगत/ऑफलाइन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी वह चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

तिरोच नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उपाय विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त विधि उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-नित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/तोष/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं तत्पर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संचित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य विन्दु व सूचना - परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के समय में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सुझाव/स्वीकार्य हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में निम्न उल्लेखित पता पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नं.- 0146-2695212 एवं 2695200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार शक्ति, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बन्धित किया जाय।



(रामनिवास मेहता)
सचिव